राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,

4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।

फोन न. 5159607, 5159665, 5159648 फैक्स न. 5159665

क्रमांक एफ–11(423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोगशाला–3/ दिनांक

निविदा विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) जयपुर शहर में विभिन्न 9 स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों को संचालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एंव $PM_{2.5}$ Sampler) सुरक्षा एवं सुरक्षित (Safety and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air samples) एवं संबंधित फील्ड डाटा शीट (Fild Data Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर को शीघ्रताशीघ्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand over) करने का कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराने हेतु अनुभवी फर्मों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:–

निविदा की अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	अमानत राशि	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
रुपये 12.50 लाख	रुपये 400/– नगद रुपये 500/– डाक द्वारा	रुपये 25,000/–	04.02.2016 शाम 3.00 बजे तक	04.02.2016 शाम 4.00 बजे

निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तें मण्डल की वेबसाइट– http:// rpcb.rajasthan.gov.in अथवा sppp.raj.nic.in से भी डाउन लोड की जा सकती हैं। डाउनलोड फार्म उपयोग में लेने पर निविदा शुल्क की राशि रू. 400/– का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नाम से जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।

सदस्य सचिव

निविदा फार्म क्रेता का नाम...रसीद नं0...दिनांक................................

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
फोन न. 5159607, 5159665, 5159648 फैक्स न. 5159665

निविदा फार्म का मूल्य :– रूपये 400/–

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन
<u>निविदा प्रपत्र</u> क. प्रयोगशाला 3/2015 दि.

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम/फर्म का नाम : ....
2. डाक का पूरा पता : ....
....
3. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम ....
व पदनाम ....एवं प्रमाणित हस्ताक्षर ....
4. निविदादाता का दूरभाष संख्या/लेण्डलाइन नं...मोबाइल नं...
5. PAN No.
6. Service Tax No
7. Registration NO.
8. Address proof
9. निविदा शुल्क :...रूपये रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर चैक क्रमांक........................
दिनांक....................................
10. अमानत राशि रूपये 25,000.00(रू. पच्चीस हजार मात्र) डी.डी./बैंकर चैक संख्या.......................................
.. दिनांक :..........................बैंक का नाम...
जो सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम देय हो।
11. ठेका राशि एक वर्ष के लिए – राशि (अंको में)...
राशि (शब्दों में).. रूपयें प्रति स्टेशन
12. मैं/हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना क्रमांक एफ. 11 (423) रा.प्र.नि.म./प्रयोगशाला–2/2015 दिनांक................................ में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं एवं जिनके स्वीकार किए जाने के प्रमाण में निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।
13. ऊपर उद्धत की गयी दरें निविदा खोले जाने की तिथि से <u>एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य हैं।</u> इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा। <u>ठेका कार्यादेश जारी करने पर कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।</u>

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम : मैसर्स :..
....
पता : ....
....

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल.
4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। फोन न.
5159607, 5159665, 5159648 फैक्स न. 5159665

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत **(National Ambient Air Quality Monitoring Programme)** कार्य का विस्तृत विवरण :–

जयपुर शहर में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Stations) वर्तमान में निम्न स्थानों पर स्थित है :–

क्रमांक	स्थान का नाम	केन्द्रीय प्रयोगशाला का नाम व पता जहॉ नमूने जमा कराने हैं।
1.	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
2.	अजमेरी गेट, जयपुर	
3.	चांदपोल /ब्रहापुरी पुलिस थाना, जयपुर	
4.	रा.प्र.नि.मं. मुख्यालय, झालाना डूंगरी, जयपुर	
5.	क्षेत्रीय कार्यालय भवन, रा.प्र.नि.मं., सीकर रोड , जयपुर /कार्यालय सहायक प्रभियन्ता जलदाय विभाग वैशाली नगर, जयपुर	
6.	रीको कार्यालय, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	
❖	बाईस गोदाम, जयपुर	
❖	जवाहर नगर, जयपुर	
❖	थाना शिप्रा पथ मानसरोवर, जयपुर	

❖ उक्त प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) की संख्या वर्तमान में छः है जो प्रागामी तीन–चार माह में (तारांकित स्थानो पर) बढ़ाकर नौ की जा सकती है।

1. परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र पर तकनीकी सहायक/कर्मी से प्रबोधन केन्द्र पर लिये जाने वाले अपेक्षित कार्य:–

(अ) कार्य का विवरण: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) जयपुर स्थित (09) स्थानों पर हैं, पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के चालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एंव $PM_{2.5}$ Sampler) सुरक्षा एवं सुरक्षित रखने (Safty And Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air samples) एवं संबंधित आंकड़ो (Ambient Air Quality Monitoring, Data Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) केन्द्रीय प्रयोगशाला,रा.प्र.नि.मं. जयपुर को शीघ्रतिशीघ्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Handover) करना। परियोजनान्तर्गत स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है। स्थानों व मशीनों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

(ब) निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी मशीन का सुचारू रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)

(स) प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) एक सप्ताह में दो दिवस के अन्तराल पर 24 घन्टे चलाया जायेगा।

(द) वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घन्टे प्रति पारी (6.00 ए.एम से 2.00 पी.एम, 2.00 पी.एम से 10 पी.एम एवं 10.00 पी.एम. से 6.00 ए.एम) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक तकनीकी सहायक ;(Technical Assistant) / कर्मी नियुक्त किया जायेगा।

2 आपात स्थिति एवं प्रत्येक दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किसी एक अथवा सभी प्रबोधन केन्द्रों पर सप्ताह में दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करनें की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। इस कार्य का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।

3 तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।

4 शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring) निर्धारित स्थानों पर संचालित स्टेशन (Air Quality Monitoring Stations) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेंगे।

5 मुख्य/अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी/ अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय–समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/ संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

परिवेशी वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत **(National Ambient Air Quality Monitoring Programme)** कार्य की शर्तें :–

1. निविदादाता को जयपुर शहर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. ठेकेदार/फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में तकनीकी कर्मचारी आपूर्ति करने का न्यूनतम दो वर्ष का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव होना आवश्वयक है। अनुभव का प्रमाण पत्र (जो कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जावेगा। कार्यादेश को अनुभव का प्रमाण स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. ठेकेदार को अमानत राशि के रूप में रूपये 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक जो सदस्य सचिव , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, जयपुर के नाम हो तथा ये जयपुर में भुगतान योग्य हो निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा के साथ अमानत राशि (Earnest Money) प्रस्तुत न करने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. ठेकेदार को नियमानुसार नान न्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र तथा जमानत के रूप में ठेके की वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रतिभूति (Security) राशि के रूप में इस कार्यालय में, कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा करना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। स्वीकृत निविदादाता अपनी जमा अमानत राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित करवा सकता है। प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर, अनुबन्ध के संतोषजनक निर्वाह की स्थिति में, लिखित प्रार्थना–पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जावेगी। अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि संविदा के किन्ही उपबंधो या शर्तों मे उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड का भुगतान न करने की स्थिति में दण्ड की राशि उसको देय भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि (Security Money) में से वसूल की जावेगी।
5. सदस्य सचिव को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सके। इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्जे खर्चे की मांग नहीं कर सकेगा एवं निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजो में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, जयपुर को होगा।
7. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिए न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
8. निविदा के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
9. मुहरबन्द निविदा प्रपत्र मय अमानत राशि (Earnest Money) एवं अन्य दस्तावेजो को दिनांक 04.02.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे तक मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, के कक्ष में पहुच जाने चाहिए। प्राप्त निविदायें उक्त तिथि को ही मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
10. निविदा की दरें मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। मूल निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
11. परिवेशीय वायु प्रबोधन (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Quality Monitoring), आंकड़ा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित केन्द्रीय प्रयोगशाला को परिवहन के कार्य हेतु ठेका एक वर्ष के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि मे कार्य उत्कृष्ट पाये जानें की स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर बढाया जा सकता है।

12. प्रबोधन कार्य संचालन (Handling of Monitoring work)/सम्पादन हेतु मशीन, उपस्कर/उपकरण, रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of equipment, suppply of Absorbing Solutions, Filter Papers) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत, सर्विस (Servicing and Repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी की कर्तव्य निष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा। तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन मे रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि ठेकेदार या उसके तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी की लापरवाही से मशीन के ख़राब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मको, फिल्टर पेपर, आकड़ा प्रतिवेदन, आकड़ा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/ उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।

13. ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।

14. कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

15. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

16. ठेकेदार प्रतिमाह मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अन्य प्रयोगशाला अधिकारी से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा। मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा।

17. ठेके की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

18. ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर अध्यक्ष रा0 प्र0 नि0 म0, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्ते :

1. ठेकेदार/संस्था को तकनीकी श्रमिक सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागो में उपलब्ध कराने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है जिसके प्रमाण के लिये वह आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
2. ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियो की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
3. इस निविदा के तहत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था द्वारा निर्धारित योग्यताधारी श्रमिकों को नियोजन किया जायेगा। तथा ऐसे नियोजित श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. ठेकेदार/संस्था द्वारा इस प्रकार नियोजित समस्त व्यक्तियों/श्रमिकों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/संस्था की होगी तथा उसकी अनुशंसा पर ही उसके कर्मियों के मण्डल कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/परिचय – पत्र बनाए जायेगें। प्रत्येक तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी के लिये (ठेकेदार/संस्था के प्रतिनिधि सहित) मण्डल कार्यालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक तथा मांगने पर दिखाना होगा।
5. प्रबोधन केन्द्र के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।

6. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्र सहायकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।

7. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/ अपराधिक प्रकृति/ न्यायालय द्वारा अपराध--सिद्ध दोषी, सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

8. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तिओं द्वारा यदि मण्डल सम्पत्ति, स्टेशन पर स्थापित उपकरण, विभिन्न रसायनो, अभिकर्मको आदि को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था को करनी होगी।

9. ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।

10. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी के संबंध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा। राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नही होगा।

11. प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने, एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान मण्डल कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

12. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।

13. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/ श्रमिक एवं औधोगिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा तथा मण्डल कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

14. यदि अनुबन्ध से संबंधित कार्यो के सम्पादन मे किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तो/कार्यादेश में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यो में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति सदस्य सचिव द्वारा आरोपित की जा सकेगी।

15. ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/ दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति (Payment or Security) राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।

16. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों /RTPP. Rules की शर्ते व विनियम भी ठेकेदार/ संस्था को स्वीकार्य होंगे।

17. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।

18. यह कि मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेंगी।

19. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

20. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर अध्यक्ष, रा0 प्र0 नि0 म0, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा एवं ठेकेदार तथा राज्यमण्डल आपसी सहमति से अनुबन्ध को एक वर्ष के लिये निविदा की शर्तों एवं दरों पर बढा सकते हैं।

21. ठेकेदार या उसके तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी द्वारा नमूने के एकत्रीकरण के कार्य में प्रतिदिन केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आकडा प्रतिवेदन (Collected sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा।

22. शास्ति **(Penalty)**

(1) ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकड़ा प्रतिवेदन एवं नमूनों को केन्द्रीय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं करानें पर उस दिन की भुगतान (Payment) की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।

(2) ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों को भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।

(3) लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

23. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

दिनांक :

नाम : मैसर्स :..

....

पता : ....

....